(42)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक– 01/परि० आ०(क्षे०स्था०)– 75/2024 108 /राँची, दिनांक– 22/07/2024

|| आदेश ||

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक– 1990, दिनांक– 27.06.2024 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी अभ्यर्थियों (ऑटोमोबाईल/यांत्रिक) को, झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग में परिवहन विभाग अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के पद पर, सातवें वेतनमान लेवल– 06 (छठा वेतनमान PB-II 9300-34800, ग्रेड पे 4200) तथा सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्तों एवं अद्योलिखित शर्तों के साथ परीक्ष्यमान रूप में नियुक्त किया जाता है:–

क्र०सं०	आयोग का क्रमांक	मेधा क्रमांक	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	कोटि	आयोग द्वारा अनुशंसित कोटि
01	120838900001	05	NISHANT KUMAR MAHTO	JAY PRAKASH MAHTO	18.07.1994	BC-II	UR
02	150837201061	06	AMIT KUMAR	SURESH PRASAD SAH	03.03.1990	BC-II	UR
03	150837201055	07	SUBHAM KUMAR	PRAYAG PRASAD	18.06.1995	EBC-I	UR
04	150790901245	09	NEERAJ KUMAR	BAIJNATH PRASAD	21.06.2000	BC-II	UR
05	150837202071	15	RAHUL SIDDHARTHA	MANOJ KUMAR SINGH	11.12.1996	EWS	UR
06	150838900322	18	ISHWAR LAL SAW	BANSHI DHAR PRASAD	31.05.1995	BC-II	UR
07	120832000017	20	RAHUL VERMA	GAYA PRASAD VERMA	01.07.1995	GEN	UR
08	152298900169	23	BANKIM CHANDRA GHOSH	SWAPAN GHOSH	30.06.1997	BC-II	UR
09	152298900377	24	KUMAR UTKARSH	NARESH CHANDRA MANDAL	22.01.1996	EBC-I	UR
10	150790901097	25	NITISH KUMAR GUPTA	AKHILESH PRASAD	05.04.1998	EBC-I	UR
11	150790903293	27	ABHAY CHOUDHARY	PREM CHOUDHARY	27.05.1994	EBC-I	UR

12	150837200766	28	AMIT KUMAR MAHATO	NIVARAN MAHATO	02.07.1997	BC-II	UR
13	150790900033	33	MONU MRINAL	RAJENDRA PRASAD	28.08.1995	SC	UR
14	150790901352	36	HARISH KUMAR	MURARI SAW	10.02.2001	UR	UR
15	150790900100	38	GAUTAM GAURAV	RAJESH KUMAR MEHTA	13.08.1998	BC-II	UR
16	150790901880	44	DILIP KUMAR	DAYANAND PODDAR	11.04.1987	BC-II	BC-2
17	120838900118	46	RAHUL KUMAR THAKUR	CHUNNULAL THAKUR	14.09.1995	EBC-I	EBC-I
18	150856600067	54	VIRSU KUMAR	SURENDRA PRASAD	24.03.1998	EWS	EWS
19	150837200509	55	MD BARKAT ANSARI	MD JAKIR ANSARI	08.04.1996	EBC-I	EBC-I
20	152298800625	57	RAVINA KUMARI	RAJESH KUMAR NAYAK	04.02.1997	EBC-I	UR-Woman
21	150832000587	59	MANISH KUMAR	BIRENDRA SAW	26.12.2000	EBC-I	EBC-I
22	150790902971	62	PRAKASH RANJAN	RAJKUMAR RAM	30.12.1994	EBC-I	EBC-I
23	150837201842	78	KUMAR SANU YADAV	RAMDEO PRASAD YADAV	22.05.1995	BC-II	BC-2
24	150790900842	95	VINAY KISHOR DEO	CHANDRIKA RAM	10.11.1994	SC	SC
25	150790901889	127	AMIT KUMAR JHA	ROHIT KUMAR JHA	15.09.1998	EWS	EWS
26	120790900347	133	SHUBHAM LAL SINGH	BRAMHADEO LAL SINGH	26.08.1996	EWS	EWS
27	150856600278	190	MD IRFAN AHMED	MD KALIM UDDIN	04.01.1992	EWS	EWS
28	150790900684	230	GAURI SHANKAR KUMAR RAVI	PRABHAN RAM	08.02.1997	SC	SC
29	150790902224	235	GAUTAM ORAON	FULJHARI BHAGAT	20.02.1995	ST	ST
30	150838900011	267	SUBHASH TIGGA	JAIWANT TIGGA	05.12.1990	ST	ST
31	150832002144	350	PRATHAM KUMAR RAJWAR	DHANESHWA R RAJWAR	08.05.1999	SC	SC

32	150838901198	387	JOSEPH TOPPO	GEORGE TOPPO	16.01.1987	ST	ST
33	120790900263	390	PRADEEP KUMAR TIRKEY	BUDHRAM ORAON	22.02.1988	ST	ST
34	150838901062	391	NELSON TIRKEY	NILOPHER TIRKEY	26.06.1991	ST	ST
35	150790901915	398	RAVI PRASAD	MAHESH PRASAD	02.11.2001	SC	SC
36	150838901255	428	VIPUL ORAON	BIRSA ORAON	31.12.1996	ST	ST
37	150790902917	492	ARVIND TIRU	VINCENT TIRU	12.02.1994	ST	ST
38	150838900948	493	ABHISHEK MUNDA	MUKESH MUNDA	05.06.2002	ST	ST
39	120838900033	549	KRISHNA SOREN	BHAGWAT SOREN	25.08.1988	ST	ST
40	150790903232	576	ABHAY TETE	PAUL TETE	26.11.1996	ST	ST-BACKLOG

2. इनकी नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से प्रभावी होगी एवं योगदान की तिथि से ही वे 02 (दो) वर्ष तक परीक्ष्यमान रूप में रहेंगे। परीक्ष्यमान अवधि में किसी भी मोटरयान निरीक्षक की सेवा असंतोषजनक पाये जाने पर एक महीने की सूचना देकर सेवा से वंचित कर दिया जाएगा।

3. आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर परिवहन विभाग में निश्चित रूप से योगदान करेंगे एवं निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

4. योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. योगदान के समय दहेज नहीं लेने/देने संबंधी घोषणा–पत्र, चल–अचल सम्पत्ति विवरणी, असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।

6. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित मेधा–सह–विकल्प के अनुरूप तैयार सूची के आधार पर वरीयता विभाग द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी।

7. यदि पूर्व में नियोजित हों तो योगदान के समय पूर्व नियोक्ता से विरमित आदेश की प्रति/पूर्व सेवा से त्याग पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।

8. समर्पित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की विभाग द्वारा जाँच एवं संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन के क्रम में, यदि किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो उनकी नियुक्ति रद्द करते हुए, उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(39)

9. यह नियुक्ति पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। अनुकूल स्वच्छता प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

10. झारखण्ड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा– 2023 के आयोजन के क्रम में, सदर पुलिस थाना, राँची में दर्ज कांड सं० 495/2023 में यदि भविष्य में कोई चयनित अभ्यर्थी Charge-sheeted होते है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

11. यह नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा प्रथम चरण में भेजी गई अनुशंसा के आलोक में की जा रही है। अंतिम रूप से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवंटित विभागों (यथा–जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा नगर विकास विभाग) तथा मोटरयान निरीक्षक के पद में परस्पर परिवर्तन संभव है।

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 01/परि० आ०(क्षे०स्था०)– 75/2024 राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को उनके पत्रांक– 1990, दिनांक– 27.06.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 01/परि० आ०(क्षे०स्था०)– 75/2024 राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को आदेश की अतिरिक्त दो प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 01/परि० आ०(क्षे०स्था०)– 75/2024 राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/सचिव/मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/सचिव, वित्त विभाग/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(38)

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 01/परि० आ०(क्षे०स्था०)– 75/2024 998 राँची, दिनांक– 22/07/2024

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड/सभी नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 01/परि० आ०(क्षे०स्था०)– 75/2024 998 राँची, दिनांक– 22/07/2024

प्रतिलिपिः– संयुक्त परिवहन आयुक्त, राँची/संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 01/परि० आ०(क्षे०स्था०)– 75/2024 998 राँची, दिनांक– 22/07/2024

प्रतिलिपिः– पी०एम०यू०, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।